

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 682 / गोपनीय / 2020
दो-2-1 / 2020

जबलपुर, दिनांक 15 जुलाई, 2020

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह	सीधी	उज्जैन	उज्जैन	सिविल जिला, उज्जैन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री श्यामकांत कुलकर्णी के दिनांक 31-07-2020 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर।
2	श्री गजेन्द्र सिंह	नरसिंहपुर	भिण्ड	भिण्ड	सिविल जिला, भिण्ड। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा के दिनांक 31-07-2020 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर।
3	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह	जबलपुर	सीधी	सीधी	सिविल जिला, सीधी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के स्थान पर।

क्रमांक 683 / गोपनीय / 2020
दो-2-1 / 2020

जबलपुर, दिनांक 15 जुलाई, 2020

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के

स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 26-10-95, अधिसूचना क्रमांक फा0-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7-5-99, क्रमांक फा01-2-90/21-ब (एक), दिनांक 4-58-2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 1-2-90-21/ब(एक)1511/2016, दिनांक 16-05-2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री आलोक अवस्थी	भोपाल	भोपाल	भोपाल	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री मुंशी सिंह चन्द्रावत के दिनांक 31-07-2020 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर।	भोपाल
2	श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर।	ग्वालियर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री गजेन्द्र सिंह के स्थान पर।	नरसिंहपुर
3	श्री सतीश चन्द्र राय, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर।	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह के स्थान पर।	जबलपुर



क्रमांक 684 / गोपनीय / 2020
दो-2-1 / 2020

जबलपुर, दिनांक 15 जुलाई, 2020

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी


क्र.	नाम	कहाँ से	कहाँ को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जूनियर)	मनासा	रीवा	रीवा	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2	श्री मनोज कुमार तिवारी (जूनियर)	जतारा	बालाघाट	बालाघाट	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
3	श्री अरबिंद कुमार (जैन)	सरदारपुर	उज्जैन	उज्जैन	सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
4	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर)	बड़नगर	भोपाल	भोपाल	बीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आलोक अवस्थी के स्थान पर।
5	श्री राघवेंद्र भारद्वाज	धार	सरदारपुर	धार	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अरबिंद कुमार (जैन) के स्थान पर।

4

6	श्री मुकेश रावत	ग्वालियर	नरसिंहगढ़	राजगढ़	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
7	श्री सुनील दण्डोटिया	ग्वालियर	जतारा	टीकमगढ़	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री मनोज कुमार तिवारी (जूनियर) के स्थान पर।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. **Reg (IT) (SA) /2018/368**, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,


15/7/2020
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक **685** / गोपनीय / 2020
दो-2-1 / 2020

जबलपुर, दिनांक 15 जुलाई, 2020

प्रतिलिपि:-


1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
5.
 1. श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी,
 2. श्री गजेन्द्र सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, नरसिंहपुर,
 3. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जबलपुर,
 4. श्री आलोक अवस्थी, बीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल,
 5. श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर,
 6. श्री सतीश चन्द्र राय, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर,

7. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जूनियर), द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मनासा जिला नीमच,
8. श्री मनोज कुमार तिवारी (जूनियर), प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जतारा जिला टीकमगढ़,
9. श्री अरबिंद कुमार (जैन), प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर जिला धार,
10. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़नगर जिला उज्जैन,
11. श्री राघवेन्द्र भारद्वाज, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार,
12. श्री मुकेश रावत, चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर,
13. श्री सुनील दण्डोतिया, षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर,

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपें कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 04-08-2020 को अवश्यमेव कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करें।

- 6 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी/ नरसिंहपुर/ भोपाल/ ग्वालियर/ जबलपुर/ नीमच/ टीकमगढ़/ धार/ उज्जैन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 04-08-2020 को अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।
- 7 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड/ रीवा/ बालाघाट/ राजगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 8 जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 9 प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर/ जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 04-08-2020 को अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।
- 10 सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस0ए0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-
 - (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर - 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।

- (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (कार्य एवं अधोसंरचना)/ (आई0एल)/ (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2)/ (सतर्कता)/ सदस्य सचिव (एस.सी.एम.एस.)/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- (7) संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 11 रजिस्ट्रार (ई0)/ लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 12 रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 13 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 14 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 15 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 16 रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 17 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।


 (राजेन्द्र कुमार वाणी)
 रजिस्ट्रार जनरल